

19.2.19 पत्रावली पेश हुई। कामेश्वर लखन्ये हडताल कर न्यायिक कार्य का बहिष्कार किया। पत्रावली का इतलोकन किया। समयपक्ष के द्वारा प्रकरण में प्राप्त विभाजन प्रस्तावों को लही होना स्वीकार किया है। वादीव प्रतिवादीगण विवादित धाराजी में लह खोलेदार हैं व हिस्सानुसार विभाजन प्रस्ताव तहकीलदार के द्वारा तैयार कर पेश किये गये हैं पश्चात्तन के विभाजन प्रस्तावों से लहम है। धारा 1 का मुताबिक विभाजन प्रस्ताव डिक्लीयर गाम लोडा की धाराजी पर वादीव प्रतिवादीगण की धाराजी खसरा नम्बर 886 रकबा 1 बीघा 7 विल्वा 874/2 रकबा 3 विल्वा पूर्व दिशा, 863/3 रकबा 7 विल्वा मध्य भाग का पूरन सिंह पुत्र पातीराम जलदेवी उर्फ जनदेवी w/o पूरन सिंह, शिवासिंह पुत्र पूरन सिंह जाते काधी नि. कोटे का पुत्र को हिस्सा बराबर एवं धाराजी खसरा नम्बर 873 रकबा 1 बीघा 9 विल्वा, 863/2 रकबा 2 विल्वा पश्चिम दिशा का नेमीचंद पुत्र पातीराम शीलादेवी w/o नेमीचंद जाते काधी निवाली कोटे का पुत्र को हिस्सा बराबर, धाराजी खसरा नम्बर 874/1 रकबा 1 बीघा 8 विल्वा दिशा पश्चिम का रामगोपाल, श्रीकान्त पिषराग रामसिंह जाते त्यागी हि. बराबर, 200 खसरा नम्बर 875 रकबा 1 बीघा पश्चिम दिशा, 863/5 रकबा 9 विल्वा पूर्व दिशा का

श्रीमान पुत्र पालीराम जाति काधी गिवाली
 छोटे कापुरा को, ख.सं. नं. 875/2 रकबा 13
 बिस्वा पूर्व डिशा, 863/4 रकबा 5 बिस्वा
 मध्य भाग का श्रीभाराम पुत्र पालीराम काम
 काधी गिवाली छोटे कापुरा को ख.सं. 800
 ख. नं. 863/1 रकबा 3 बिस्वा पश्चिम डिशा
 का लखाराम पुत्र ब्रह्ममलाल हि 4/5 व मोहन
 सिंह पुत्र श्रीसिंह हि 1/5 काम काधी लख
 छोटे कापुरा को खातेदार का एतकाद घोषित
 किया जाकर लखाराम राजस्व रिकार्ड में
 दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते
 हैं। मुद्रांक शुल्क पेश होने पर पंचायत
 डिक्री जारी हो। पत्रावली के माध्यम से
 होकर दाखिल दफ्तार हो।

उपखण्डाधिकारी
 धौलपुर (राज.)